



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052023-245764
CG-DL-E-09052023-245764

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2045]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 2023/वैशाख 19, 1945

No. 2045]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 9, 2023/VAISAKHA 19, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2023

का.आ. 2135(अ).—केंद्रीय सरकार, धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (धक) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उसके लिए कारबार के अनुक्रम में किए गए निम्नलिखित क्रियाकलाप उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए क्रियाकलाप के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

- कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारियों के निर्माण अभिकर्ता के रूप में कार्य करना ;
- अन्य कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारियों के संबंध में कंपनी के निदेशक या सचिव, फर्म के भागीदार या समान पद के रूप में कार्य करना (या उस रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था करना) ;
- कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या न्यास के लिए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, कारबार का पता या आवास, पत्राचार या प्रशासनिक पता प्रदान करना ;
- अभिव्यक्त न्यास के न्यासी के रूप में कार्य करना (या उस रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था करना) या किसी अन्य प्रकार के न्यास के लिए समतुल्य कार्य करना ; और
- किसी अन्य व्यक्ति के लिए नामनिर्देशित शेयरधारक के रूप में कार्य करना (या उस रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था करना) ।

स्पष्टीकरण.—संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (धक) के उपखंड (vi) के प्रयोजनों के लिए क्रियाकलाप नहीं माने जाएंगे, अर्थात् :--

- (क) कोई क्रियाकलाप, जो किसी भूमि या भवन या किसी स्थान के उपयोग के लिए पट्टा, उप पट्टा, किराएदारी या किसी अन्य करार या ठहराव के करार के भाग के रूप में किया जा रहा है और प्रतिफल आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194ठ के अधीन यथापरिभाषित आय-कर की कटौती के अध्वधीन है ; या
- (ख) कोई क्रियाकलाप, जो किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता की ओर से नियोजन के दौरान या उसके संबंध में किया जाता है ; या
- (ग) कोई क्रियाकलाप, जो व्यवसायरत अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन यथा अपेक्षित घोषणा फाइल करने की सीमा तक कंपनी के निर्माण में लगा हुआ है ; या
- (घ) किसी व्यक्ति का कोई क्रियाकलाप, जो धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित मध्यवर्ती के अंतर्गत आता है ।

[फा. सं. पी-12011/10/2023-इएस सेल-डीओआर]

शशांक मिश्र, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2023

S.O. 2135(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (sa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby notifies that the following activities when carried out in the course of business on behalf of or for another person, as the case may be, as an activity for the purposes of said sub-clause, namely:-

- (i) acting as a formation agent of companies and limited liability partnerships;
- (ii) acting as (or arranging for another person to act as) a director or secretary of a company, a partner of a firm or a similar position in relation to other companies and limited liability partnerships;
- (iii) providing a registered office, business address or accommodation, correspondence or administrative address for a company or a limited liability partnership or a trust;
- (iv) acting as (or arranging for another person to act as) a trustee of an express trust or performing the equivalent function for another type of trust; and
- (v) acting as (or arranging for another person to act as) a nominee shareholder for another person.

Explanation.—For removal of doubts, it is clarified that the following activities shall not be regarded as activity for the purposes of sub-clause (vi) of clause (sa) of sub-section (1) of section 2 of the Act, namely:-

- (a) any activity that is carried out as part of any agreement of lease, sub-lease, tenancy or any other agreement or arrangement for the use of land or building or any space and the consideration is subjected to deduction of income-tax as defined under section 194-I of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); or
- (b) any activity that is carried out by an employee on behalf of his employer in the course of or in relation to his employment; or
- (c) any activity that is carried out by an advocate, a chartered accountant, cost accountant or company secretary in practice, who is engaged in the formation of a company to the extent of filing a declaration as required under clause (b) of sub-section (1) of section 7 of Companies Act, 2013 (18 of 2013); or
- (d) any activity of a person which falls within the meaning of an intermediary as defined in clause (n) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003).

[F. No. P-12011/10/2023-ES Cell-DOR]

SHASHANK MISRA, Director (Headquarter)